न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. :186/2017

अनवान :

1. शिशराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

\- **वादी**

बनाम

1. लादुराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
2. संतोष देवी बेवा स्वर्गीय रामसिंह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. माया
4. पूजा
5. प्रियन्का
6. निशा

} पुत्रियां स्वर्गीय रामसिंह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

7. रायसिंह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

\- **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955
उपस्थित : वकील श्री श्रवण सहारण **: वादी**
निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि गांव मालकस के खाता सं0 94/109 के खसरा सं0 124, 126, 128, 211/2, 234, 236, 237, 246, 249, 253, 274, 276, 295, 318 की कुल 20.334 है0 बारानी मय रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लादुराम का 322 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

गांव मालकस के खाता सं0 134/129 के खसरा सं0 121, 239 व 293 की कुल 17.401 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लादुराम का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

प्रतिवादी सं0 1 लादुराम को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता चन्दुराम से विरासतन प्राप्त हुई है उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक एवं दादालायी सम्पति है जिसमें मुझ वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का जन्म से हक व हिस्सा है उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम महज परिवार का कर्ता खानदान होने के

कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पैतृक कृषि भूमि बाबत खाता सं0 134/129 के खसरा सं0 121, 239 व 293 की दादालायी जमाबन्दी संलग्न दावा है।

गांव मालकस के खाता सं0 94/109 की दादालायी जमाबन्दी प्राप्त करने हेतु मुझ वादी ने तहसील राजस्व भादरा के रिकार्ड रूम में प्रतिलीपी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था परन्तु माननीय तहसीलदार भू–अभिलेख भादरा ने उपरोक्त खाता सं0 94/109 की जमाबन्दी की नकल देने में असमर्थता जाहीर की और वादी के आवेदन पर यह रिपोर्ट की कि प्रार्थी द्वारा चाही गई जमाबन्दी का रिकार्ड, रिकार्ड रूम में उपलब्ध है परन्तु प्रमाणित न होने की वजह से नकल जारी नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय द्वारा मूल जमाबन्दी निरीक्षण हेतु तलब की जावे तो सारा दादालायी रिकार्ड बखुबी साबित है।

उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 लादुराम के नाम दर्ज होने के कारण मुझ वादी को ऋण वगैरह लेने व कृषि भूमि को समतल व उपजाऊ बनाने व अन्य मन माफीक उपयोग व उपभोग करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को अपना अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने को कहा तो उसने न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी यही वाद कारण है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 8 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में शिशराम पुत्र लाधुराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यफोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम मालकस सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 2 व 3, फोटो प्रति प्रमाणित फोर्म नं0 18 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम मालकस प्रदर्श 5, 6, 7 व चित्रप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम मालकस प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम मालकस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी में जो फोटो प्रति प्रमाणित भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम मालकस प्रदर्श 5, 6, 7 व चित्रप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम मालकस प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये है उनमें वाद भूमि वादी के दादा चन्दु वल्द बाला के नाम दर्ज रिकार्ड है जिससे वाद भूमि पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एंव असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में लादूराम के वारिसान में पत्नी सावित्री, तीन पुत्र रामसिंह (फौत) व शिशराम, रायसिंह मौजूद होना व रामसिंह के वारिसान में पत्नी सन्तोष देवी, चार पुत्रियां माया, पूजा, प्रियंका, निशा मौजूद होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव मालकस के खाता सं0 94/109 के खसरा सं0 124, 126, 128, 211/2, 234, 236, 237, 246, 249, 253, 274, 276, 295, 318 की कुल 20.334 है0 बारानी मय रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लादुराम का 322 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व गांव मालकस के ही खाता सं0 134/129 के खसरा सं0 121, 239 व 293 की कुल 17.401 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लादुराम का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है में वादी शिशराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 लादुराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 ता 6 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 7 रायसिह 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16·3·18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. :186/2017

अनवान :

1. शिशराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. लादुराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
2. संतोष देवी बेवा स्वर्गीय रामसिंह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. माया
4. पूजा
5. प्रियन्का
6. निशा

(3–6) पुत्रियां स्वर्गीय रामसिंह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

7. रायसिंह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वां सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव मालकस के खाता सं0 94/109 के खसरा सं0 124, 126, 128, 211/2, 234, 236, 237, 246, 249, 253, 274, 276, 295, 318 की कुल 20.334 है0 बारानी मय रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लादुराम का 322 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व गांव मालकस के ही खाता सं0 134/129 के खसरा सं0 121, 239 व 293 की कुल 17.401 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लादुराम का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है में वादी शिशराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 लादुराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 ता 6 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 7 रायसिह 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.3.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़